

कार्यालय- जिला कार्यक्रम अधिकारी, बिजनौर।

पत्रांक

/जि0का0अ0/सहायिका चयन/2025-26/

दिनांक:-11.11.2025

विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 क्रम में जनपद बिजनौर में बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार विभाग के अर्न्तगत संचालित 13 बाल विकास परियोजनाओं में मानदेय आधारित सहायिकाओं के रिक्त कुल 1016 पदों पर महिला अभ्यर्थियों से तत्सम्बन्धित पोर्टल <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। सहायिकाओं के रिक्त पदों का विकास खण्डवार विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	सहायिकाओं के रिक्त पदों की संख्या
1	शहर बिजनौर	शहरी	35
2	मौ0पुर देवमल	ग्रामीण	71
3	हल्दौर	ग्रामीण	64
4	खारी झालू	ग्रामीण	74
5	जलीलपुर	ग्रामीण	84
6	नूरपुर	ग्रामीण	135
7	अफजलगढ़	ग्रामीण	91
8	स्योहारा	ग्रामीण	46
9	धामपुर	ग्रामीण	89
10	नहटौर	ग्रामीण	61
11	किरतपुर	ग्रामीण	63
12	नजीबाबाद	ग्रामीण	108
13	कोतवाली	ग्रामीण	95
कुल योग			1016

उपरोक्त पदों का ग्राम सभा/वार्डवार विवरण, आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील, विकास खण्ड, सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है।

चयन हेतु पात्रता/अर्हता एवं ऑनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में निर्देश:-

- 01- सहायिका के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होना अनिवार्य है।
- 02- आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा की स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- 03- आवेदिका की आयु 01 जुलाई 2025 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 04- विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 05-12-2025 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी। विज्ञापित पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होंगे।
- 05- आय प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-3959/1-9-11-राज0-9, दिनांक 30-09-2021 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हों।
- 06- गरीबी रेखा की आय सीमा का पुर्ननिर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-22/2015/2123/26-2-2015, दिनांक: 14 सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा (ग्रामीण क्षेत्र में ₹0-46,080/- एवं शहरी क्षेत्र में ₹0-56,460/- वार्षिक) का अनुपालन किया जायेगा।
- 07- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
- 08- तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- 09- एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी।

(विमल कुमार चौबे)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
बिजनौर

पृष्ठोंकन संख्या

C-1370

/तद दिनांक।

प्रतिलिपि:

01-

02-

03-

04-

05-

06-

07-

08-

निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निदेशक महोदया, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उ० प्र० लखनऊ।

जिलाधिकारी महोदया, बिजनौर।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय/अध्यक्ष, चयन समित, बिजनौर।

समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति की प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बिजनौर को इस आशय से प्रेषित है कि विज्ञप्ति की प्रति विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सूचना/विज्ञप्ति को तहसील कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराये जाने के साथ ही परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर भी चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिला सूचना अधिकारी, बिजनौर।

सम्पादक, दैनिक जागरण एवं सांध्य दैनिक चिंगारी को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम स्पेस में शासकीय दरों पर समाचार-पत्र के दिनांक: 12-11-2025 के अंक में प्रकाशित कराते हुए बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
बिजनौर